


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... 3 पण्डाधिकारी सिकराय (दोहा) .....

नरेश पुरी सरकार बनाम राजस्थान सरकार .....

किरम मुकदमा ..... 136 LRAet ..... मु० नं० ..... 23/19 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.20	<p>पत्रावली कहल हेतु पेश हुई। कहल जाकी सुनी गयीव अवलद स्टेट का अपलोकन किया गया।</p> <p>जाकी रामा इलयपुरा के ख.नं. 603 की भूमि का मीकाखला काश्त अनुसार वरमीम करवाना चाहता है।</p> <p>अवलद स्टेट दि. 15.12.20 अनुसार भू-पक्का विभाग द्वारा, पूर्व में नक्शे में वरमीम नहीं होने के कारण, पहल की तलहटी में नक्शे में दर्शित कर दिया गया।</p> <p>भू-पक्का विभाग की मीका खिधति अनुसार ही नक्शे में वरमीम की शक्तीयां प्राप्त हैं, <del>अवलद</del> खलने से अधिजन स्थान पर नक्शे में दर्शित करने की नहीं।</p> <p>अतः तलहटीलदक सिकराय की आदेशित किया जाता है कि जाकी की खलना काश्त भूमि के स्थान पर ही नक्शे में वरमीम की जावे।</p> <p>निर्णय आज दि. 21.12.20 की खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (खोजलिलीहें)  21.12.20 </p>	

